शेयर धारकों को सूचना

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **मंगलवार दिनांक 02 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 (आइएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपने शेयरधारकों की चौबीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा।**

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए:**

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंध (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2) (बी) के साथ पठित भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को जारी अधिसूचना एफ.सं6/26(ii)/2023-बीओ.आइ के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 30.01.2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(ii)/2024-बीओ.आइ के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति उनके शेष कार्यकाल के लिए अर्थात 20.10.2024 तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक कार्यभार संभालने, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 4

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 09.10.2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(xi)/2023-बीओ.आइ के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति को 10.03.2024 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 25 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/2/2022-बीओ.आइ के तहत बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति को, तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (1) सहित भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ. सं6/3/2011-बीओ.आइ के तहत बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति को, तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / राइट इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में 5000 करोड़ रुपये तक की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में रु. 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन / अधिकार मामले / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने /एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर डेट लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/ या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि क्वालिफाएड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार / आरबीआइ / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि किसी मर्चेन्ट बैंकर, विधिक सलाहकार, बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने का उद्देश्य है कि बोर्ड मर्चेन्ट बैंकर, विधिक सलाहकार, बुक रनर्स लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, एडवाइजर्स और /या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा इश्यू के प्रकार और उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिसमें निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जाने वाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जाने वाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि है कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ जिनकी सदस्यता नहीं ली गई है को जैसा बोर्ड उचित समझे और कानून द्वारा अनुमत हो, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, कठिनाई या संदेह जो शेयरों / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने के लिए और निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है जिसके लिए शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अंत और मंशा के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि शेयरधारकों द्वारा पूर्ण विवेक के साथा संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया माना जाएगा।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है** कि बोर्ड यहां प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक/(ओं) या गठित/इसके बाद गठित निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत है। बैंक को उपरोक्त संकल्प(संकल्पों) को प्रभावी करने के लिए।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों):

बैठक के कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कोविड -19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023** एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 8, 2022 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 एवं **सेबी/एचओ/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्तूबर 2023** के माध्यम से कंपनियों को **30 सितंबर 2024** की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं।

बैंक ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट **www.iob.in** पर अपलोड किया गया है। **वार्षिक रिपोर्ट 2023-24** सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com** से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

ग) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु **https://wisdom.cameoindia.com** लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा।

घ) मताधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों** के प्रयोग के लिए **प्राधिकृत नहीं होंगे।**

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **मंगलवार, दिनांक 25 जून 2024, जो अंतिम तिथि होगी** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे। भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा। अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ड़) दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023** तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/

पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 08, 2022 एवं **सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022** तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्तूबर 2023 का संदर्भ लेते हैं । बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड** (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक** है। शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 28 जून 2024 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, दिनांक 29 जून 2024 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और सोमवार दिनांक 01 जुलाई 2024 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि 28 जून 2024 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है।** डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) **सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020,** सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी /इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे **www.cdslindia.com** पर जाएं और लॉग-इन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता **www.cdslindia.com** होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या **https://evoting.cdslindia.com/Evoting/** पर क्लिक कर सकते हैं। ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज़ है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा।
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल **https://eservices.nsdl.com** टाइप करें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें। 3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके **https://www.evoting.nsdl.com/** एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** (डीपी) के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आइडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल है।

लॉग-इन टाइप	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित टोल फ्री सं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं।

(v) **भौतिक शेयरधारकों और डीमेट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति:

1) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन करना चाहिए।

2) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें।

   क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आइडी

   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आइडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आइडी जुड़ी हो

   ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए ।

4) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास शेयर डीमेट रुप में है और आप **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग करना है।

6) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें:

	डीमेट में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) • शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें।

लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी)	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज़ है । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज़ नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(vi) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(vii) भौतिक रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे । हालंकि, डीमैट रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रुप से प्रविष्ट करना होगा । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है । यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(viii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ix) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन 240603001पर क्लिक करें।

(x) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छानुसार हाँ / नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की

(xi) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट' पर क्लिक करना है। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें।

(xiii) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा।

(xvi) यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो उसे अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(1) ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए -** कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को ई-मेल: **https://wisdom.cameoindia.com** के माध्यम से प्रदान करें।

2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए -** कृपया अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन करें।

3. **वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए -** कृपया अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन करें। जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

2) वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:

1. एजीएम / ईजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्धृत है।

2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा।

3. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें।

4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें।

6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखे हैं), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है।

7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल का उल्लेख करते हुए शुक्रवार, 28 जून 2024 को या उससे पहले अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। **investor@iobnet.co.in** पर नंबर जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे शुक्रवार, 28 जून, 2024 तक अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न अग्रिम रूप से भेज सकते हैं। **investor@iobnet.co.in** पर मोबाइल नंबर इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईमेल द्वारा उचित रूप से दिया जाएगा।

8. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

9. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के भी अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

11. एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं।

12. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट- केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षक **www.evotingindia.com** पर लॉग इन करें और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल करें ।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने के पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें।
- वैकल्पिक रुप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को अनिवार्य रूप से भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि **investors@iobnet.co.in** पर भेजें साथ ही कॉपी **rsaevoting@gmail.com** मार्क को करें।

यदि आपको ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **helpdesk.evoting@cdlindia.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, वरिष्ठ प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

च) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं हैं।

छ) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआइ आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं।

संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से **rsaevoting@gmail.com** को एवं बैंक के ई-मेल आइडी **investor@iobnet.co.in** पर कॉपी मार्क करते हुए वार्षिक आम बैठक की तारीख शुक्रवार, 28 जून, 2024 से **कम से कम चार दिन पहले** अपराह्न 4.00 बजे (आइएसटी) तक या इससे पहले पहले भेज दें।

ज) पते में परिवर्तन:

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-4002 0700 | ऑनलाइन इन्वेस्टर पोर्टल : https://wisdom.cameoindia.com
वैबसाइट : www.cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागि(यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं।

i) पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 03 नवंबर 2021 (बाद में परिपत्र दिनांकित 14 दिसंबर 2021, 16 मार्च 2023 और 17 नवंबर 2023 संशोधित) के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले) को कोई भी लाभांश/ब्याज प्रदान किया है, जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं है, वे उनके द्वारा उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे।

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्रम सं	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आइएसआर – 1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/ अपडेट करने के लिए
2	फॉर्म आइएसआर – 2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	फॉर्म आइएसआर – 3	नामांकन विकल्प से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र 4 प्रपत्र
4	फॉर्म आइएसआर – 13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म आइएसआर – 14	नामांकन रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-4002 0700 ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

झ) भौतिक होल्डिंग का डीमैटरियलाइजेशन:

सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण करने के अनुरोध स्वीकार करने से सूचीबद्ध कंपनियों को अस्वीकार करने के लिए सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके अलावा इसे संशोधन 2022 द्वारा अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या अभौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी या हस्तांतरण केवल अभौतिक रूप में ही प्रभावी होगा। जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/इसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। आरटीए द्वारा केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे।

पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक शेयरधारक, जिनके पास इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर हैं, को एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी में से किसी एक में अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए डीमैट खाता खोल सकते हैं।

ञ) शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लाभ:

शेयर प्रमाण पत्र के नुकसान और टूट-फूट का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेनदेन लागत आदि है।

ट) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्स्चेंज को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंध (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को जारी अधिसूचना एफ.सं6/26(ii)/2023-बीओ.आइ के तहत श्री श्रीनिवासन श्रीधर को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले तक के लिए बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने 21.02.2024 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने 2018 से अपनी वर्तमान भूमिका ग्रहण करने तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्य किया था। श्री श्रीनिवासन श्रीधर दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और एक योग्य सनदी लेखाकार भी हैं।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर एक वित्तीय सेवाओं के विशेषज्ञ हैं जिनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर और भारत में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 28 वर्षों तक सिटीग्रुप के साथ, एशिया, अफ्रीका व यूरोप सहित 6 देशों में काम किया। उन्होने सिटीग्रुप में कुछ नेतृत्व पदों पर यानी तीन देशों के लिए सीईओ, भारत में कॉरपोरेट बैंक प्रमुख, अफ्रीका के लेन-देन सेवा प्रमुख पद पर कार्यभार ग्रहण किया और मध्य, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व व अफ्रीका के बैंक सेवा समूह प्रमुख हैं। उनके पास कॉरपोरेट व निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और नियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों का विस्तृत बैंकिंग अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड भी है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसिस सॉफ्टवेर लिमिटेड, निरलॉन ग्रेफ़ाइट इंडिया लिमिटेड, फिनका - अजेरबेइजान।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 2 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित इच्छुक है।

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 30.01.2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(ii)/2024-बीओ.आइ के तहत श्री जयदीप दत्ता रॉय को उनके शेष कार्यकाल के लिए अर्थात 20.10.2024 तक, या कार्यभार संभालने से भारत सरकार के अगले आदेश तक जो भी पहले हो, को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने 31.01.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। लगभग 28 वर्षों से बैंकर हैं , वे वर्ष 1996 में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में बहुत ही सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद, बैंक के देहरादून और बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ तत्कालीन देना बैंक और तत्कालीन विजया बैंक के समामेलन के समय एकीकरण प्रमुख रहे, उन्हें मुख्य महा प्रबंधक पद पर पदोन्नत किया गया और बैंक के एमडी व सीईओ के कार्यालय में रहे। मुख्य महा प्रबंधक के रूप में, वे बैंक में रणनीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के प्रभारी थे तथा बैंक की सहायक कंपनियों व संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन के अलावा बैंक स्तर और ऊर्ध्वाधर स्तर की समीक्षा करने के प्रभारी थे, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार के द्वारा 21.10.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे खुदरा बैंकिंग व्यवसाय (संपत्ति और देनदारियां), धन प्रबंधन और एनआरआइ व्यवसाय, जोखिम, वित्त और योजना कार्य, एचआरएम, आइटी और डिजिटल, निरीक्षण व ऑडिट, अनुपालन, उधार प्रबोधन, संग्रह, सहायक और संयुक्त उद्यम, संचालन व सेवाएं, एंटरप्राइज डेटा प्रबंधन आदि का कार्यभार संभाला।

बड़ौदा-बीएनपी पारिबा एसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष होने के साथ उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), पीएसबी एलायंस लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा

ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कार्ड्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा बोत्सवाना और बैंक ऑफ बड़ौदा तंजानिया लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है, इसके अलावा वे विधि स्नातक हैं और मुंबई में नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्री जयदीप दत्ता रॉय या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 4

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा 09.10.2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(xi)/2023-बीओ.आइ के तहत श्री धनराज टी को 10.03.2024 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री टी. धनराज ने 10.03.2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वे इंडियन बैंक में मुख्य महा प्रबंधक (सीडीओ/ सीएलओ) थे। श्री टी. धनराज ने वर्ष 1994 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में कार्य शुरू किया।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्रामीण और कॉर्पोरेट शाखाओं, कृषि ऋण, एमएसएमई और मानव संसाधन के शाखा प्रमुख के रूप में बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने मानव संसाधन संबंधी सभी मामलों में तत्कालीन इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत इकाई में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में, दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को लागू करके मानव संसाधन प्रथाओं में बारीकी से परिवर्तन किया गया।

ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि, स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए कृषि, इन्क्यूबेशन के लिए आइआइटी, मद्रास के साथ सहयोग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृषि सह-उधार मॉडल की शुरुआत की। आरआरबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पल्लवन ग्राम बैंक और पाण्डियन ग्राम बैंक का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसे अंततः तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में जाना जाने लगा। वे नाबार्ड की सहायक कंपनी एनएबीकेआइएसएएन के बोर्ड और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी सप्तगिरी ग्रामीण बैंक के बोर्ड में भी निदेशक रहे।

श्री टी धनराज ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक योग्यताएं जैसे सीएआइआइबी, ईआइएम बैंगलोर द्वारा पीएसयू बैंकों के प्रतिनिधियों के लिए 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' प्रबंधन पाठ्यक्रम किए। उन्होंने आइआइएम, लखनऊ से 'एचआर एनालिटिक्स में कार्यपालक कार्यक्रम' (ईपीएचआरए) में भी भाग लिया और उसे पूर्ण किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्री टी. धनराज या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 25 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/2/2022-बीओ.आइ के तहत श्री कार्तिकेय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, को बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस 2009 बैच) के अधिकारी हैं। श्री कार्तिकेय मिश्रा ने 25.10.2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा बिट्स पिलानी से स्नातक और आइआइएम-अहमदाबाद से स्नातकोत्तर हैं। अपनी वर्तमान तैनाती से पहले, वह श्रम और रोजगार मंत्रालय, आंध्र प्रदेश में आयुक्त के रूप में तैनात थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में भी काम किया।

उन्होंने पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने 'कौशल विकास' के लिए कौशल गोदावरी परियोजना भी शुरू की। उनके नेतृत्व में 16000 युवाओं को नौकरियां प्राप्त हुई थी।

उन्होंने तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी काम किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के निदेशक के रूप में काम किया था, जहां उन्हें आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन (एएमटीजेड) के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अतिरिक्त, श्री कार्तिकेय मिश्रा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आइएफसीआइ) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आइआइएफसी (यूके)) के बोर्ड में भी शामिल हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आइएफसीआइ) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

श्री कार्तिकेय मिश्रा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत, के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (1) सहित भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/3/2011-बीओ.आइ के तहत श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, को बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त किया।

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्र में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), बेंगलुरु की क्षेत्रीय निदेशक हैं। आरबीआइ में अपने लगभग तीन दशकों के कार्यकाल में, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया है और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), मुंबई के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और मानव संसाधन विकास है। उन्होंने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ चंडीगढ़, कोलकाता और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

उन्होंने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में आरबीआइ नामिती निदेशक के रूप में 14.07.2023 से कार्यभार संभाला।

उन्होंने 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और 2019 में स्थापित 'एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति' को सचिवीय सहायता प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वह विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के तहत गठित रिटर्न/ स्टेटमेंट के युक्तिकरण पर विशेष समिति का भी भाग थीं।

भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान, वे जी20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत एक कार्य समूह, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन (जीपीएफआइ) के लिए आरबीआइ लीड रही हैं।

फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन (जीपीएफआइ) के लिए आरबीआइ लीड रही हैं।

उनके पास वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है और बैंकिंग और वित्त में मास्टर डिग्री है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआइआइबी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार निर्गम / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में 5000 करोड़ रुपये तक की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु।

1. आरबीआइ के बेसल III दिशानिर्देशों का पालन करने और एक मजबूत पूंजी आधार रखने के लिए ताकि व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान की जा सके, बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है।

2. भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) दिनांकित 30 जुलाई 2021, आगे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत संशोधित प्रावधान और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार जनहित में किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।

3. इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र संदर्भ सं. एफ.सं. 1/14/2018-पीएम दिनांकित 06.07.2022 के जरिए सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19क में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2024 तक छूट मिलेगी।

4. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 22 अप्रैल 2024 को अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सांविधिक / नियामक अनुमोदनों के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 5000 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है।

5. तदनुसार, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव रखता है। मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा।

6. अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी को या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना।

7. पूर्वोक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंकों) प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम और सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अनुपालन और निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी।

8. बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ख) (ग) के अनुसार, प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। हालांकि, केंद्र सरकार, हमेशा, बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के बावन प्रतिशत से कम नहीं रखेगी।

9. एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसी की पेशकश करनी है, जब तक कि असाधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा।

10. यह संकल्प बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के माध्यम से और/या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / आरबीआइ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मोड पर इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों को बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाता है। इश्यू से प्राप्त राशि बैंक को समय-समय पर आरबीआइ द्वारा निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी।

11. यह संकल्प आइसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारों के साथ क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन मांगे बिना, निदेशक मंडल अपने विवेक से बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित तंत्र को अपना सकता है।

12. सेबी आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में एक क्यूआइपी निर्गम के मामले में, क्यूआइपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं और "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर को समापन मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जा सकता है। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआइपी निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है।

13. बाजार की मौजूदा स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और अंडरराइटर्स तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

14. जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, जैसा कि मूल्य निर्धारण के ऑफर को बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह समय-समय पर संशोधित सेबी आइसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू या आवश्यक हो के अनुसार होगा।

15. पूर्वोक्त कारणों से, इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त अधिकार और विवेक देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

16. आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

17. इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

18. बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर, इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

19. कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार विशेष संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं, जैसा कि नोटिस के एजेंडा आइटम नंबर 7 में निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

Notice to the Shareholders

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) Tuesday, the July 02, 2024, at 11.00 a.m. (IST)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended as on 2008) that the **Twenty Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Tuesday, July 02, 2024,** at **11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2024, the Profit and Loss account, Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank under Clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2) (b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Govt. of India, vide Notification F. no.6/26(ii)/2023- BO. I dated 21.02.2024 for a term of three years, from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 3:

Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India Gazette Notification eF.No.4/1(ii)/2024-BO.I dated 30.01.2024, with effect from his taking over charge for the remainder of his term, i.e. upto 20.10.2024, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 4:

Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification No. eF.No.4/1(xi)/2023-BO.I dated 09.10.2023, for a period of three years with the date of assumption of office on or after 10.03.2024, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 5:

Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank under clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification eF.No.6/2/2022-BO.I dated October 25, 2023 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 6:

Appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, for the appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification eF.No.6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 7:

To raise paid-up equity capital upto Rs.5000 crores, in one or more tranches, either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any

other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding paid up capital of Rs.5000 crores as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("LODR")** the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the

provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:"

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up, and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute

discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker(s), Legal Advisor(s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Bankers, Legal Advisors, Book Runners, Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of securities/exercise of warrants/ redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities that are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted or such other officer of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution(s)."

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024

NOTES

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement(s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form the part of the Notice.

b) In view of the situations arising due to Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, **Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023** and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and **SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023** has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to **September 30, 2024** without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with **Annual Report 2023-24** is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders of the Bank may please note that the Notice and Annual Report 2023-24 will be made available on the website of the Bank at **www.iob.in** The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evotingindia.com**

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link **https://wisdom.cameoindia.com** to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, **No shareholder** of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Tuesday, June 25, 2024, being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, **Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023** and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and **SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023** and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. **Remote E-voting is optional.** The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, June 25, 2024, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. THE INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The remote e-voting period begins on Saturday, June 29, 2024, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 01, 2024, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on June 25, 2024, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(iv) In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020,** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	**Login Method**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website **www.cdslindia.com** and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website **www.cdslindia.com** and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on **www.cdslindia.com** home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://eservices.nsdl.com** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting

Type of shareholders	Login Method
	services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at **https://eservices.nsdl.com** Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://www.evoting.nsdl.com/** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at Toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

(1) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**

(2) Click on "Shareholders" module.

(3) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(5) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on **EVSN: 240603001** for exercising e-voting of agenda of AGM 2024.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

1. PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1) **For Physical shareholders** - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal **https://wisdom.cameoindia.com/**

2) **For Demat shareholders** - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3) **For Individual Demat shareholders** – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

2. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.

2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.

3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.

4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Friday, **June 28, 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in **advance by Friday, June 28, 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 and also as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to **www.evotingindia.com** and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to **and rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at toll free no 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 1800 22 55 33.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to **rsaevoting@gmail.com** with copy to **investor@iobnet.co.in** not less than **FOUR DAYS** before the date of Annual General Meeting i.e., on or before 4.00 p.m. (IST) on Friday, June 28, 2024**.**

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request, if any, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, only to their respective Depository Participant(s).

i) NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities and provides that any dividend/interest to the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment of dividend/interest, through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

It shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish all the above mentioned details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA below mentioned address:

Sr. No.	Form	Purpose
1	Form ISR - 1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR - 2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR - 3	Declaration Form for opting out of Nomination Form
4	Form ISR - 13	Nomination Form
5	Form ISR - 14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

j) DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 1st April 2019. Further, it has been mandated vide amendment of 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They are required to convert physical shares to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

k) BENEFITS OF DEMATERIALIZATION OF SHARES:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

l) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in

favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024

Explanatory Statement

Agenda Item No. 2

Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

In exercise of the powers conferred under Clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, vide Notification F. no.6/26(ii)/2023-BO. I dated 21.02.2024 has appointed Shri Srinivasan Sridhar (DOB: 03.05.1960) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, on the Board of Indian Overseas Bank, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Srinivasan Sridhar joined Indian Overseas Bank as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman w.e.f 21.02.2024. Shri Srinivasan Sridhar was on the board of Bank of Baroda as Shareholder director from 2018 till his time of assumption of his current role. Shri Srinivasan Sridhar is a B. Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Qualified Chartered Accountant.

Shri Srinivasan Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained Internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa, and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East, and Africa. He also brings deep Banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Oracle Financial Services Software Ltd, Nirlon Ltd, Graphite India Ltd., Finca-Azerbaijan.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Srinivasan Sridhar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 3

Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF. No.4/1(ii)/2024-BO.I dated 30.01.2024 has appointed Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director, Bank of Baroda as Executive Director in Indian Overseas Bank with effect from his taking over charge for the remainder of his term, i.e., upto 20.10.2024, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Joydeep Dutta Roy assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f. 31.01.2024. A career Banker for around 28 years, he joined Bank of Baroda in the year 1996.

After completing very successful stints in Bank of Baroda as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank, post which, he was appointed as an Executive Director by the Government of India w.e.f. 21.10.2021.

As Executive Director in Bank of Baroda, he has held charge of various critical portfolios of the Bank viz. Retail Banking Business (Assets & Liabilities), Wealth Management and NRI Business, Risk, Finance and Planning functions, HRM, IT & Digital, Inspection & Audit, Compliance, Credit Monitoring, Collections, Subsidiaries & Joint Ventures, Operations & Services, Enterprise Data Management, among others in the Bank.

He has also served as a director on the board of National e Governance Services Ltd. (NeSL), PSB Alliance Ltd., India First Life Insurance Company Ltd., The Nainital Bank Ltd., Baroda Global Shared Services Ltd., BOB Cards Ltd., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. besides being a Non-Executive Chairman of the Boards of Baroda-BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. and Bank of Baroda (UK) Ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Joydeep Dutta Roy or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 4

Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF.No.4/1(xi)/2023-BO.I dated 09.10.2023 has appointed Shri Dhanaraj T, Chief General Bank, Indian Bank as Executive Director in Indian Overseas Bank with effect from his taking over charge on 10.03.2024, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Dhanaraj T has assumed charge as Executive Director of the Bank on 10.03.2024. Prior to this, he was Chief General Manager (CDO/CLO) in Indian Bank. Shri Dhanaraj T joined Indian Bank as Rural Development Officer in 1994.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in important spheres of Banking viz., as a Branch Head of Rural & Corporate Branches, Agriculture Credit, MSME and Human Resources. He played a crucial role during the amalgamation of erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank in all HR related matters. As the Head of HR in the amalgamated entity, transformation of HR practices was carried out meticulously by implementing Performance Management System (PMS) to drive efficiency.

During his stint as Head of Rural Banking Department, he was instrumental in collaborating with IIT, Madras for Agri. Incubation for financing Agri. Start-ups and initiated Agri Co-lending models. As Chairman of RRB, he successfully completed amalgamation of Pallavan Grama Bank & Pandian Grama Bank which eventually came to be known as Tamil Nadu Grama Bank. He was also a Director on the Board of NABKISAN, a Subsidiary of NABARD and on the Board of Saptagiri Grameen Bank, an RRB sponsored by Indian Bank.

Shri Dhanaraj T holds an Agricultural Engineering Degree from Tamil Nadu Agricultural University besides holding other Professional qualifications viz., CAIIB, 'Leadership Development Program' management course for leaders of PSU Banks conducted by IIM Bangalore. He has also attended & completed 'Executive program in HR Analytics'(EPHRA) from IIM, Lucknow.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Dhanaraj T or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 5

Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Government of India vide Notification eF.No.6/2/2022-BO.I dated October 25, 2023, has nominated Shri Kartikeya Misra (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Overseas Bank, in place of Ms. Annie George Mathew with immediate effect and until further orders.

Shri Kartikeya Misra, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, is an officer of Indian Administrative Services (IAS 2009 batch).

Shri Kartikeya Misra joined Indian Overseas Bank as Government Nominee Director w.e.f 25.10.2023.

Shri Kartikeya Misra is a graduate from BITS Pilani and a postgraduate from IIM-Ahmedabad. Prior to his current posting, he was posted in the Ministry of Labour and Employment, Andhra Pradesh as Commissioner and had also worked in various Ministries/ Departments of the Government of Andhra Pradesh.

He had also worked as District Collector of West Godavari and East Godavari districts. He also launched the Kaushal Godavari Project for 'Skill Development'. Under his leadership, 16,000 youths found jobs.

He had also worked as Officer on Special Duty, Telangana Bhawan, New Delhi.

Shri Kartikeya Misra had worked as Director of Health and Family Welfare, Andhra Pradesh, Vijayawada, where he was given full additional charge of Managing Director and CEO for Andhra Pradesh Med Tech Zone (AMTZ).

Besides Indian Overseas Bank, Shri Kartikeya Misra is also on the Board of Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) and India Infrastructure Finance Company (UK) Limited (IIFC (UK)).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Limited, India Infrastructure Finance Company (UK) Limited.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Kartikeya Misra or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 6

Appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Government of India vide Notification eF.No.6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023, has nominated Smt Sonali Sen Gupta (DOB: 04.09.1968), as Director on the Board of Indian Overseas Bank, in place of Shri Vivek Agrawal with immediate effect and until further orders.

Smt Sonali Sen Gupta is currently Regional Director for Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Bengaluru. In her career of nearly three decades in RBI, she has worked as Chief General Manager-in-charge of Financial Inclusion and Development Department at Central Office, Mumbai and served as a Director on Board of National Centre for Financial Education (NCFE), Mumbai. Her area of expertise is Banking Regulation and Supervision and Human Resource Development at Central Office as well Regional Offices level. She has worked in the Central Office as well as Chandigarh, Kolkata, and New Delhi Regional Offices of the Reserve Bank.

She joined Indian Overseas Bank as RBI Nominee Director w.e.f 14.07.2023.

She served as a member secretary to 'Internal Working Group to Review Agricultural Credit' and led the team providing secretarial assistance to the 'Expert Committee on MSME', set up in 2019. She was also a part of specialized committee on Rationalization of Returns/Statements, set up under Regulation Review Authority 2.0.

During the Indian G20 Presidency, she has been RBI Lead for Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), a working group under the Finance Track of G20.

She holds a bachelor's degree in Commerce (Hons) and has a Master's Degree in Banking and Finance. She is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Smt Sonali Sen Gupta or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 7

To raise paid-up equity capital upto Rs.5000 crores, either in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof.

(a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

(b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

(c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM dated 06.07.2022 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five % and which could not increase its public shareholding to at least twenty five % within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2024 to increase its public shareholding to at least twenty five %.

(d) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 22nd April 2024 has approved for raising paid up equity capital of Rs.5000 crore through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

(e) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital in one or more tranches, either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI

(Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

(f) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

(g) The Bank in terms of Section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two % of the paid-up equity capital of the Bank.

(h) Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(i) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(j) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(k) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

(l) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(m) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

(n) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

(o) The equity shares allotted, shall rank *pari-passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

(p) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

(q) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

(r) None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 7 of the accompanying Notice.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024